राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः सान्याअवि/सा.वि./मु.पु.गृह/2025–26/ई– 4129 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

जिला मुख्यालय पर बेघर, वृद्धजन एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का जिला राजसमन्द, जोधपुर एवं हनुमानगढ़ में संचालन किया जाना है।

उक्त के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ पंजीकृत इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों के साथ ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' (**Expression of Interest**) जारी कर 30.11.2025 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। जो स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट गृह का संचालन बिना अनुदान की मांग के करेगी उन संस्थाओं/ट्रस्टों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी।

इच्छुक स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट अपना आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला कार्यालय को प्रेषित कर सकेंगे।

नोटः– आवेदन पत्र, पात्रता एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट http://ssraj.sje@rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

(शुभम चौधरी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः सान्याअवि/सा.वि./मु.पु.गृह/2025–26/ई– 4129 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर राजसमन्द, जोधपुर एवं हनुमानगढ़।
3. जिलाधिकरी राजसमन्द, जोधपुर एवं हनुमानगढ़ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
4. संयुक्त निदेशक आई.टी. को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Shubham Chaudhary
Designation : Director
Date :03-11-2025 05:12:03

RajKaj Ref No.: 18424935

eSign DSC